भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *171
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ

***171. श्री शफी परम्बिल:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में चिकित्सकों/नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में चिकित्सा पेशेवरों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारणों सहित ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

06 दिसंबर, 2024 **के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 171 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी संबंधित कमी **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। हालांकि, भारत सरकार ने भी देश में उपलब्ध डॉक्टरों/नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने में सहयोग के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे के) में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करके अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को मजबूत करने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट, मार्च, 2024 के अनुसार, एनएचएम वित्त पोषण सहायता से राज्यों द्वारा लगभग 3.85 लाख अतिरिक्त मानव संसाधनों को लगाया गया है और विभिन्न स्तरों पर तैनात किया गया है। इसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 17,485 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) और 80,890 स्टाफ नर्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 1.39 लाख से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तैनात हैं।

देश के ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एनएचएम के तहत निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ एवं

एनेस्थेटिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) में प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- राज्यों को विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।

- एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में प्राथमिकता देना और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करना जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

इसके अलावा, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 387 थी, अब बढ़कर 780 हो गई है। एमबीबीएस सीटों में भी 130% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 51,348 थी, अब बढ़कर 1,18,137 हो गई है और पीजी सीटों में 135% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 31,185 थी, अब बढ़कर 73,157 हो गई है।

देश में डॉक्टरों/मेडिकल पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

• जिला/रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके तहत 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

• एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत/उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

• नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है।

• संकाय की कमी को दूर करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

• मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा-विस्तार/पुनर्नियोजन के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है।

अनुलग्नक-I

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर + / चिकित्सा अधिकारी +						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च 2023 तक)				
		आवश्यक [1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर-पी]
1	आंध्र प्रदेश	1145	2313	2293	20	*
2	अरुणाचल प्रदेश	127	136	136	0	*
3	असम	920	1686	1281	405	*
4	बिहार	1519	4505	2945	1560	*
5	छत्तीसगढ	773	1011	585	426	188
6	गोवा	21	105	97	8	*
7	गुजरात	1483	1893	1558	335	*
8	हरियाणा	384	801	584	217	*
9	हिमाचल प्रदेश	549	660	545	115	4
10	झारखंड	308	308	285	23	23
11	कर्नाटक	2132	2392	2052	340	80
12	केरल	780	1609	1525	84	*
१३	मध्य प्रदेश	1440	1946	1404	542	36
14	महाराष्ट्र	1906	4926	4065	861	*
15	मणिपुर	74	265	214	51	*
16	मेघालय	122	189	180	9	*
17	मिजोरम	57	0	52	*	5
18	नगालैंड	128	103	123	*	5
19	ओडिशा	1277	1321	916	405	361
20	पंजाब	397	586	411	175	*
21	राजस्थान	2179	2622	2236	386	*
22	सिक्किम	24	37	36	1	*
23	तमिलनाडु	1419	2934	2594	340	*
24	तेलंगाना	594	1188	757	431	*
25	त्रिपुरा	110	0	235	*	*
26	उत्तराखंड	532	619	486	133	46
27	उत्तर प्रदेश	3055	4448	2827	1621	228
28	पश्चिम बंगाल	910	1405	1247	158	*
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22	53	50	3	*
30	चंडीगढ़	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
३१	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12	22	22	0	*
32	दिल्ली	5	19	16	3	*
33	जम्मू और कश्मीर	890	1677	1030	647	*
34	लद्दाख	32	116	61	55	*
35	लक्षद्वीप	4	12	12	0	*
36	पुदुचेरी	24	24	41	*	*
	अखिल भारत [2] / कुल	**25354**	**41931**	**32901**	**9354**	**976**

टिप्पणियाँ: - लागू नहीं

*: आधिक्य

+: एलोपैथिक डॉक्टर

1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक।

स्रोत: हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, 2022-23

शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर + / चिकित्सा अधिकारी +						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च 2023 तक)				
		आवश्यक [1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर-पी]
1	आंध्र प्रदेश	542	542	524	18	18
2	अरुणाचल प्रदेश	6	9	9	0	*
3	असम	89	164	139	25	*
4	बिहार	277	591	305	286	*
5	छत्तीसगढ	52	118	75	43	*
6	गोवा	7	34	32	2	*
7	गुजरात	353	364	319	45	34
8	हरियाणा	117	132	117	15	0
9	हिमाचल प्रदेश	25	३१	29	2	*
10	झारखंड	77	63	32	३१	45
11	कर्नाटक	392	424	368	56	24
12	केरल	165	283	265	18	*
१३	मध्य प्रदेश	328	328	298	30	30
14	महाराष्ट्र	906	1416	1221	195	*
15	मणिपुर	22	76	64	12	*
16	मेघालय	25	11	25	*	0
17	मिजोरम	9	0	9	*	0
18	नगालैंड	8	3	7	*	1
19	ओडिशा	125	138	126	12	*
20	पंजाब	124	236	161	75	*
21	राजस्थान	293	440	381	59	*
22	सिक्किम	2	2	2	0	0
23	तमिलनाडु	444	558	493	65	*
24	तेलंगाना	275	427	299	128	*
25	त्रिपुरा	10	0	15	*	*
26	उत्तराखंड	76	87	71	16	5
27	उत्तर प्रदेश	598	596	484	112	114
28	पश्चिम बंगाल	467	973	560	413	*
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	10	10	0	*
30	चंडीगढ़	51	68	77	*	*
३१	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	2	2	0	0
32	दिल्ली	551	1096	993	103	*
33	जम्मू और कश्मीर	83	168	133	35	*
34	लद्दाख	1	1	1	0	0
35	लक्षद्वीप	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
36	पुदुचेरी	21	21	36	*	*
	अखिल भारत [2] / कुल	**6528**	**9412**	**7682**	**1796**	**271**

टिप्पणियाँ: - लागू नहीं

*: आधिक्य

+: एलोपैथिक डॉक्टर

[1] आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक

रिक्तियों के समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनशक्ति के पदों की स्थिति उपलब्ध नहीं है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, 2022-23

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सिंग स्टाफ (स्टाफ नर्स)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च 2023 तक)				
		आवश्यक [1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर-पी]
1	आंध्र प्रदेश	1145	3435	3272	163	*
2	अरुणाचल प्रदेश	127	240	240	0	*
3	असम	920	2133	1735	398	*
4	बिहार	1519	3810	2454	1356	*
5	छत्तीसगढ	773	2043	1612	431	*
6	गोवा	21	97	97	0	*
7	गुजरात	1483	1900	1640	260	*
8	हरियाणा	384	1431	1067	364	*
9	हिमाचल प्रदेश	549	212	91	121	458
10	झारखंड	308	308	207	101	101
11	कर्नाटक	2132	3368	3982	*	*
12	केरल	780	1538	1486	52	*
१३	मध्य प्रदेश	1440	1440	1924	*	*
14	महाराष्ट्र	1906	2149	1442	707	464
15	मणिपुर	74	173	152	21	*
16	मेघालय	122	384	392	*	*
17	मिजोरम	57	0	154	*	*
18	नगालैंड	128	148	189	*	*
19	ओडिशा	1277	2176	493	1683	784
20	पंजाब	397	1010	458	552	*
21	राजस्थान	2179	5095	4133	962	*
22	सिक्किम	24	115	126	*	*
23	तमिलनाडु	1419	5146	4439	707	*
24	तेलंगाना	594	1451	1134	317	*
25	त्रिपुरा	110	0	506	*	*
26	उत्तराखंड	532	366	320	46	212
27	उत्तर प्रदेश	3055	3674	1288	2386	1767
28	पश्चिम बंगाल	910	1822	1822	0	*
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22	96	95	1	*
30	चंडीगढ़	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
३१	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12	65	62	3	*
32	दिल्ली	5	6	6	0	*
33	जम्मू और कश्मीर	890	735	558	177	332
34	लद्दाख	32	43	37	6	*
35	लक्षद्वीप	4	11	11	0	*
36	पुदुचेरी	24	72	112	*	*
	अखिल भारत [2]/कुल	**25354**	**46692**	**37736**	**10814**	**4118**

टिप्पणियाँ: -लागू नहीं

*: आधिक्य

[1] आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक

[2] रिक्तियों के समग्र प्रतिशत की गणना के लिए, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनशक्ति के पदों की स्थिति उपलब्ध नहीं है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, 2022-23

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ (स्टाफ नर्स) (31 मार्च 2023 तक)				
		आवश्यक [1]	संस्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर]	[एस]	[पी]	[एस-पी]	[आर-पी]
1	आंध्र प्रदेश	542	1084	1017	67	*
2	अरुणाचल प्रदेश	6	22	22	0	*
3	असम	89	231	203	28	*
4	बिहार	277	590	301	289	*
5	छत्तीसगढ	52	183	160	23	*
6	गोवा	7	34	33	1	*
7	गुजरात	353	543	479	64	*
8	हरियाणा	117	183	166	17	*
9	हिमाचल प्रदेश	25	18	10	8	15
10	झारखंड	77	148	75	73	2
11	कर्नाटक	392	682	602	80	*
12	केरल	165	316	295	21	*
१३	मध्य प्रदेश	328	466	443	23	*
14	महाराष्ट्र	906	2347	2016	331	*
15	मणिपुर	22	57	46	11	*
16	मेघालय	25	7	20	*	5
17	मिजोरम	9	0	26	*	*
18	नगालैंड	8	5	१३	*	*
19	ओडिशा	125	253	202	51	*
20	पंजाब	124	364	229	135	*
21	राजस्थान	293	679	557	122	*
22	सिक्किम	2	0	17	*	*
23	तमिलनाडु	444	1411	1237	174	*
24	तेलंगाना	275	612	517	95	*
25	त्रिपुरा	10	0	14	*	*
26	उत्तराखंड	76	112	64	48	12
27	उत्तर प्रदेश	598	1003	817	186	*
28	पश्चिम बंगाल	467	998	407	591	60
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	5	5	0	0
30	चंडीगढ़	51	12	10	2	41
३१	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	6	6	0	*
32	दिल्ली	551	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	83	126	101	25	*
34	लद्दाख	1	1	1	0	0
35	लक्षद्वीप	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
36	पुदुचेरी	21	63	85	*	*
	अखिल भारत [2]/कुल	**6528**	**12561**	**10196**	**2465**	**135**

टिप्पणियाँ: - लागू नहीं

*: आधिक्य

[1] आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक

[2] रिक्तियों के समग्र प्रतिशत की गणना के लिए , जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनशक्ति पद की स्थिति उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाहर रखा गया है।

रिक्तियों और कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी का योग हैं, जिसमें कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिशेष को नजरअंदाज किया गया है।

स्रोत: हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, 2022-23

******